

**THE PROTECTION OF  
HUMAN RIGHTS ACT, 1993**

**मानव अधिकार संरक्षण  
अधिनियम, 1993**

[As amended by the Protection of Human Rights  
(Amendment) Act, 2006-No. 43 of 2006]

[मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006  
(2006 का अधिनियम संख्यांक 43) द्वारा यथासंशोधित]



**National Human Rights Commission, India**

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत**

# The Protection of Human Rights Act, 1993

## मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

[As amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006-No. 43 of 2006]

[मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 43) द्वारा यथासंशोधित]



**National Human Rights Commission**

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**

Manav Adhikar Bhawan, C-Block, GPO Complex

मानव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स

INA, New Delhi - 110 023

आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

Website : [www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in)

वेबसाइट : [www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in)

# **THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993\***

(Act No. 10 of 1994)

(8th January, 1994)

An Act to provide for the constitution of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commission in States and Human Rights Courts for better protection of human rights and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the forty-fourth year of the Republic of India as follows :

*\* [As amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2000 (Act No. 49 of 2000) and the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006 (Act No. 43 of 2006)]*

**मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,  
1993\***

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

(8 जनवरी, 1994)

मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

*\* [मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 49) तथा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 - (2006 का अधिनियम संख्याक 43) द्वारा संशोधित*

# CONTENTS

## ARRANGEMENT OF SECTIONS

### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

<b>Sections</b>	<b>Page No.</b>
1. Short title, extent and commencement	1
2. Definitions	1

### CHAPTER II

#### THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

3. Constitution of a National Human Rights Commission	3
4. Appointment of Chairperson and other Members	4
5. Resignation and removal of Chairperson and Members	4
6. Term of Office of Chairperson and Members	5
7. Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances	5
8. Terms and conditions of service of Chairperson and Members	6
9. Vacancies etc., not to invalidate the proceedings of the Commission	6
10. Procedure to be regulated by the Commission	6
11. Officers and other staff of the Commission	7

### CHAPTER III

#### FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

12. Functions of the Commission	8
13. Powers relating to inquiries	9

# विषय—सूची

## प्रस्तावना

### अध्याय I

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ 1
2. परिभाषाएं 1

### अध्याय II

#### राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 3
4. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति 4
5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना 4
6. अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि 5
7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन 5
8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें 6
9. रिक्तियों, आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना 6
10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना 6
11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द 7

### अध्याय III

#### आयोग के कार्य और शक्तियां

12. आयोग के कार्य 8
13. जांच से संबंधित शक्तियां 9

14. Investigation	11
15. Statement made by persons to the Commission	12
16. Persons likely to be prejudicially affected to be heard	12

**CHAPTER IV**  
**PROCEDURE**

17. Inquiry into complaints	13
18. Steps during and after inquiry	13
19. Procedure with respect to armed forces	14
20. Annual and special reports of the Commission	15

**CHAPTER V**  
**STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION**

21. Constitution of State Human Rights Commissions	16
22. Appointment of Chairperson and Members of State Commission	17
23. Resignation and Removal of Chairperson or a Member of the State Commission	18
24. Term of office of Chairperson and Members of the State Commission	19
25. Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances	19
26. Terms and conditions of service of Chairperson and Members of State Commission	20
27. Officers and other staff of the State Commission	20
28. Annual and special reports of State Commission	21
29. Application of certain provisions relating to National Human Rights Commission to State Commissions	21

14.	अन्वेषण	11
15.	आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन	12
16.	उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है	12

## अध्याय IV

### प्रक्रिया

17.	शिकायतों की जांच	13
18.	जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई	13
19.	सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया	14
20.	आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट	15

## अध्याय V

### राज्य मानव अधिकार आयोग

21.	राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन	16
22.	राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति	17
23.	राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना	18
24.	राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि	19
25.	कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन	19
26.	राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें	20
27.	राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द	20
28.	राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें	21
29.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना	21



**CHAPTER VI**  
**HUMAN RIGHTS COURTS**

30. Human Rights Courts	22
31. Special Public Prosecutor	22

**CHAPTER VII**  
**FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT**

32. Grants by the Central Government	23
33. Grants by the State Government	23
34. Accounts and Audit	23
35. Accounts and Audit of State Commission	24

**CHAPTER VIII**  
**MISCELLANEOUS**

36. Matters not subject to jurisdiction of the Commission	26
37. Constitution of special investigation teams	26
38. Protection of action taken in good faith	26
39. Members and officers to be public servants	26
40. Power of Central Government to make rules	27
40(A). Power to make rules retrospectively	28
40(B). Power of Commission to make Regulations	28
41. Power of State Government to make rules	29
42. Power to remove difficulties	29
43. Repeal and Savings	30

## अध्याय VI

### मानव अधिकार न्यायालय

30.	मानव अधिकार न्यायालय	22
31.	विशेष लोक अभियोजक	22

## अध्याय VII

### वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान	23
33.	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	23
34.	लेखा और ऑडिट	23
35.	राज्य आयोग के लेखा और ऑडिट	24

## अध्याय VIII

### विविध

36.	आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय	26
37.	विशेष अन्वेषण दलों का गठन	26
38.	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	26
39.	सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना	26
40.	नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति	27
40(क).	भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति	28
40(ख).	आयोग की विनियम बनाने की शक्ति	28
41.	नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति	29
42.	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	29
43.	निरसन और व्यावृत्ति	30

## CHAPTER I

# PRELIMINARY

### **1. Short title, extent and commencement**

(1) This Act may be called the Protection of Human Rights Act, 1993.

(2) It extends to the whole of India.

Provided that it shall apply to the State of Jammu and Kashmir only in so far as it pertains to the matters relatable to any of the entries enumerated in List I or List III in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to that State.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 28th day of September, 1993.

### **2. Definitions**

(1) In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "armed forces" means the naval, military and air forces and includes any other armed forces of the Union;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission or of the State Commission, as the case may be;

(c) "Commission" means the National Human Rights Commission under section 3;

(d) "human rights" means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India.

(e) "Human Rights Court" means the Human Rights Court specified under section 30;

<sup>1</sup>[(f) "International Covenants" means the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights adopted by the General Assembly of the United Nations on the 16<sup>th</sup>

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.2, for clause (f) (w.e.f. 23.11.2006).

## अध्याय I

# प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।\*

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा जहां तक इसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है।

(3) यह 28 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

### 2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "सशस्त्र बल" से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है;

(ख) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "मानव अधिकार" से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं;

(ङ) "मानव अधिकार न्यायालय" से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है;

<sup>1</sup>[(च) "अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा" से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और

<sup>1</sup>2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 28.11.2006 से प्रभावी।

December, 1966 and such other Covenant or Convention adopted by the General Assembly of the United Nations as the Central Government may, by notification, specify”];

- <sup>1</sup>[(g) “Member” means a Member of the Commission or of the State Commission, as the case may be];
- (h) “National Commission for Minorities” means the National Commission for Minorities constituted under section 3 of the National Commission for Minorities Act, 1992;
- <sup>2</sup>[(i) “National Commission for the Scheduled Castes” means the National Commission for the Scheduled Castes referred to in Article 338 of the Constitution ; 43 of 2006
- (ia) “National Commission for the Scheduled Tribes” means the National Commission for the Scheduled Tribes referred to in Article 338A of the Constitution ;] 43 of 2006
- (j) “National Commission for Women” means the National Commission for Women constituted under section 3 of the National Commission for Women Act, 1990; 20 of 1990
- (k) “Notification” means a notification published in the official Gazette;
- (l) “Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (m) “Public servant” shall have the meaning assigned to it in section 21 of the Indian Penal Code; 45 of 1860
- (n) “State Commission” means a State Human Rights Commission constituted under section 21.

(2) Any reference in this Act to a law, which is not in force in the State of Jammu and Kashmir, shall, in relation to that State, be construed as a reference to a corresponding law, if any, in force in that State.

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.2, for clause (g) (w.e.f. 23.11.2006).

<sup>2</sup> Subs. by s.2, *ibid*, for clause (i) (w.e.f. 23.11.2006).

- सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है];
- 1[(छ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है];
- (ज) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है;
- 2[(झ) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" से संविधान के 2006 का 43 अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है<sup>1</sup>];
- (झक) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित 2006 का 43 जनजाति आयोग अभिप्रेत है];
- (ञ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय 1990 का 20 महिला आयोग अभिप्रेत है;
- (ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड 1860 का 45 संहिता की धारा 21 में है;
- (ढ) "राज्य आयोग" से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो; प्रति निर्देश है।

1 2006 के अधि. सं. 43 की धारा 2 के खण्ड (छ) [दिनांक 28.11.2006 से प्रभावी] द्वारा प्रतिस्थापित।

2 2006 के अधि. सं. 43 की धारा 2 के खण्ड (झ) [दिनांक 28.11.2006 से प्रभावी] द्वारा प्रतिस्थापित।

# THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

## **3. Constitution of a National Human Rights Commission**

(1) The Central Government shall constitute a body to be known as the National Human Rights Commission to exercise the powers conferred upon, and to perform the functions assigned to it, under this Act.

(2) The Commission shall consist of:

- (a) a Chairperson who has been a Chief Justice of the Supreme Court;
- (b) one Member who is or has been, a Judge of the Supreme Court;
- (c) one Member who is, or has been, the Chief Justice of a High Court;
- (d) two Members to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights.

(3) The Chairperson of the National Commission for Minorities, <sup>1</sup>[the National Commission for the Scheduled Castes, the National Commission for the Scheduled Tribes]and the National Commission for Women shall be deemed to be Members of the Commission for the discharge of functions specified in clauses (b) to (j) of section 12.

(4) There shall be a Secretary-General who shall be the Chief Executive Officer of the Commission and shall exercise such powers and discharge such functions of the Commission<sup>2</sup> [(except judicial functions and the power to make regulations under section 40 B), as may be delegated to him by the Commission or the Chairperson as the case may be.]

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.3, for "The National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes." (w.e.f. 23.11.2006).

<sup>2</sup> Subs. by s.3, *ibid*, for "as it may delegate to him." (w.e.f. 23.11.2006).

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

### 3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- (क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है;
- (ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;
- (ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है;
- (घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, <sup>1</sup>[राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग] और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ज) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो (न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनिमय बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित<sup>2</sup> करे।

<sup>1</sup> 2006 के अधि. सं. 43 की धारा 3 द्वारा "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

<sup>2</sup> उपरोक्त द्वारा "आयोग उसे प्रत्यायोजित करे" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।



(5) The headquarters of the Commission shall be at Delhi and the Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.

#### **4. Appointment of Chairperson and other Members**

(1) The Chairperson and <sup>1</sup>[the Members] shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal;

Provided that every appointment under this sub-section shall be made after obtaining the recommendations of a Committee consisting of—

- (a) The Prime Minister — Chairperson
- (b) Speaker of the House of the People — Member
- (c) Minister in-charge of the Ministry of Home Affairs in the Government of India — Member
- (d) Leader of the Opposition in the House of the People — Member
- (e) Leader of the Opposition in the Council of States — Member
- (f) Deputy Chairman of the Council of States — Member

Provided further that no sitting Judge of the Supreme Court or sitting Chief Justice of a High Court shall be appointed except after consultation with the Chief Justice of India.

(2) No appointment of a Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any <sup>2</sup>[vacancy of any member in the Committee referred to in the first proviso to sub-section (1)].

#### **<sup>3</sup>5. Resignation and removal of Chairperson and Members**

(1) The Chairperson or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the President of India, resign his office.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3), the Chairperson or any Member shall only be removed from his office by order of the President of India on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf by

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.4, for "other members" (w.e.f. 23.11.2006).

<sup>2</sup> Subs. by s.4, *ibid*, for "vacancy in the Committee." (w.e.f. 23.11.2006).

<sup>3</sup> Subs. by s.5, *ibid*, for section-5 (w.e.f. 23.11.2006).

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

#### 4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति

(1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और <sup>1</sup>[सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) प्रधान मंत्री – अध्यक्ष
- (ख) लोकसभा अध्यक्ष – सदस्य
- (ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री – सदस्य
- (घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य
- (ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य
- (च) राज्य सभा का उप सभापति – सदस्य :

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्ति किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि<sup>2</sup> [उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है]।

#### 5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना<sup>3</sup>

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 द्वारा "अन्य सदस्यों" की धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

<sup>2</sup> उपरोक्त द्वारा "समिति में कोई रिक्ति" की धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

<sup>3</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 5 के खण्ड 5 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

the Supreme Court, reported that the Chairperson or the Member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

(3) Notwithstanding anything in sub-section (2), the President may, by order, remove from office the Chairperson or any Member if the Chairperson or such Member, as the case may be—

- (a) is adjudged an insolvent; or
- (b) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
- (c) is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
- (d) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (e) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude.]

#### ***16. Term of office of Chairperson and Members***

(1) A person appointed as Chairperson shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

(2) A person appointed as a Member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for another term of five years.

Provided that no Member shall hold office after he has attained the age of seventy years.

(3) On ceasing to hold office, a Chairperson or a Member shall be ineligible for further employment under the Government of India or under the Government of any State.]

#### ***7. Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances***

(1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.6, for "section-6" (w.e.f. 23.11.2006).

जाने के पश्चात् किया गया है, कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य—

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या
- (ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
- (घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
- (ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है।

## 1[6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।]

## 7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

President may, by notification, authorise one of the Members to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

(2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, such one of the Members as the President may, by notification, authorise in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

### **<sup>1</sup>[8. Terms and conditions of service of Chairperson and Members**

The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.]

### **9. Vacancies, etc., not to invalidate the proceedings of the Commission**

No act or proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

### **10. Procedure to be regulated by the Commission**

(1) The Commission shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.

<sup>2</sup>[(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Commission shall have the power to lay down by regulations its own procedure.]

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.7, for section(8) (w.e.f. 23.11.2006).

<sup>2</sup> Subs. by s.8, *ibid*, for sub-section (2)(w.e.f. 23.11.2006).

को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

### **1[8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें**

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

### **9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना**

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

### **10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना**

(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

<sup>2</sup>(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी।

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 7 के खण्ड (8) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

<sup>2</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 8 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary-General or any other officer of the Commission duly authorised by the Chairperson in this behalf.

### **11. Officers and other staff of the Commission**

(1) The Central Government shall make available to the Commission:

- (a) an officer of the rank of the Secretary to the Government of India who shall be the Secretary-General of the Commission; and
- (b) such police and investigative staff under an officer not below the rank of a Director General of Police and such other officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) Subject to such rules as may be made by the Central Government in this behalf, the Commission may appoint such other administrative, technical and scientific staff as it may consider necessary.

(3) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed.

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

## 11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द

(1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को

(क) भारत सरकार के सचिव के स्तर का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक के पद से कम का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारीवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।



## FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

### **12. Functions of the Commission**

The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-

- (a) inquire, suo motu or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf<sup>1</sup> [or on a direction or order of any court], into complaint of
  - (i) violation of human rights or abetment thereof; or
  - (ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;
- (b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court;
- <sup>2</sup>[(c) visit, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the Government;]
- (d) review the safeguards provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;
- (e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures;

---

<sup>1</sup> Inserted by Act 43 of 2006, s.9, (w.e.f. 23.11.2006)

<sup>2</sup> Subs. by s.9, *ibid*, for clause(c)(w.e.f. 23.11.2006).

## आयोग के कार्य और शक्तियाँ

### 12. आयोग के कार्य

आयोग निम्नलिखित सभी या कुछ कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात:—

- (क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा <sup>1</sup>[या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश पर] उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर—
- (i) मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुष्प्रेषण किए जाने की; या
- (ii) ऐसे उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की, शिकायत के बारे में जांच करना;
- (ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;
- <sup>2</sup>[(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना;]
- (घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यन्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;
- (ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 9 के खण्ड (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (f) study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation;
- (g) undertake and promote research in the field of human rights;
- (h) spread human rights literacy among various sections of society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means;
- (i) encourage the efforts of non-governmental organisations and institutions working in the field of human rights;
- (j) such other functions as it may consider necessary for the protection of human rights.

### **13. Powers relating to inquiries**

(1) The Commission shall, while inquiring into complaints under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, and in particular in respect of the following matters, namely :

- (a) summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath;
- (b) discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
- (f) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have power to require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for, or relevant to, the subject matter of the inquiry and any person so required shall be deemed

- (च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;
- (छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;
- (ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;
- (झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;
- (ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

### 13. जांच से संबंधित शक्तियां

(1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है; अर्थात्:-

- (क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इतिला करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हो और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता

to be legally bound to furnish such information within the meaning of section 176 and section 177 of the Indian Penal Code.

(3) The Commission or any other officer, not below the rank of a Gazetted Officer, specially authorised in this behalf by the Commission may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts or copies therefrom subject to the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in so far as it may be applicable.

(4) The Commission shall be deemed to be a civil court and when any offence as is described in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of the Indian Penal Code is committed in the view or presence of the Commission, the Commission may, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1973, forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same and the Magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case has been forwarded to him under section 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(5) Every proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code, and the Commission shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

<sup>1</sup>[(6) Where the Commission considers it necessary or expedient so to do, it may, by order, transfer any complaint filed or pending before it to the State Commission of the State from which the complaint arises, for disposal in accordance with the provisions of this Act;

Provided that no such complaint shall be transferred unless the same is one respecting which the State Commission has jurisdiction to entertain the same.

---

<sup>1</sup> Inserted by Act 43 of 2006, s.10, (w.e.f. 23.11.2006).

की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

<sup>1</sup>[(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लम्बित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा;

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो।

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 के खण्ड 10 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

(7) Every complaint transferred under sub-section(6) shall be dealt with and disposed of by the State Commission as if it were a complaint initially filed before it.]

#### **14. Investigation**

(1) The Commission may, for the purpose of conducting any investigation pertaining to the inquiry, utilise the services of any officer or investigation agency of the Central Government or any State Government with the concurrence of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(2) For the purpose of investigating into any matter pertaining to the inquiry, any officer or agency whose services are utilised under sub-section (1) may, subject to the direction and control of the Commission:-

- (a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;
- (b) require the discovery and production of any document; and
- (c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) The provisions of section 15 shall apply in relation to any statement made by a person before any officer or agency whose services are utilised under sub-section (1) as they apply in relation to any statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission.

(4) The officer or agency whose services are utilised under sub-section (1) shall investigate into any matter pertaining to the inquiry and submit a report thereon to the Commission within such period as may be specified by the Commission in this behalf.

(5) The Commission shall satisfy itself about the correctness of the facts stated and the conclusion, if any, arrived at in the report submitted to it under sub-section (4) and for this purpose the Commission may make such inquiry (including the examination of the person or persons who conducted or assisted in the investigation) as it thinks fit.

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरम्भ में उसके समक्ष फाइल की गई हो।]

#### 14. अन्वेषण

(1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।



### **15. Statement made by persons to the Commission**

No statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission shall subject him to, or be used against him in, any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement:

Provided that the statement:-

- (a) is made in reply to the question which he is required by the Commission to answer; or
- (b) is relevant to the subject matter of the inquiry.

### **16. Persons likely to be prejudicially affected to be heard**

If, at any stage of the inquiry, the Commission:-

- (a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person;  
or
- (b) is of the opinion that the reputation of any person is likely to be prejudicially affected by the inquiry;

it shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the inquiry and to produce evidence in his defence:

Provided that nothing in this section shall apply where the credit of a witness is being impeached.

### 15. आयोग के समक्ष व्यक्तिओं द्वारा किए गए कथन

आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन:-

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

### 16. उन व्यक्तिओं की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है

यदि जांच के किसी अनुक्रम में:-

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है;

या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

**CHAPTER IV**  
**PROCEDURE**

**17. Inquiry into complaints**

The Commission while inquiring into the complaints of violations of human rights may—

(i) call for information or report from the Central Government or any State Government or any other authority or organisation subordinate thereto within such time as may be specified by it:-

Provided that—

(a) if the information or report is not received within the time stipulated by the Commission, it may proceed to inquire into the complaint on its own;

(b) if, on receipt of information or report, the Commission is satisfied either that no further inquiry is required or that the required action has been initiated or taken by the concerned Government or authority, it may not proceed with the complaint and inform the complainant accordingly;

(ii) without prejudice to anything contained in clause (i), if it considers necessary, having regard to the nature of the complaint, initiate an inquiry.

**<sup>1</sup>[18. Steps during and after inquiry**

The Commission may take any of the following steps during or upon the completion of an inquiry held under this Act, namely:-

(a) where the inquiry discloses the commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights or abetment thereof by a public servant, it may recommend to the concerned Government or authority –

(i) to make payment of compensation or damages to the complainant

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006 s.11, for section 18 (w.e.f. 23.11.2006).

## प्रक्रिया

### 17. शिकायतों की जांच

आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा:—

परन्तु—

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरम्भ कर सकेगा।

### 1| 18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई

आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के उल्लंघन का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को—

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 द्वारा की धारा 11 के खण्ड 18 प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

or to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary;

- (ii) to initiate proceedings for prosecution or such other suitable action as the Commission may deem fit against the concerned person or persons;
- (iii) to take such further action as it may think fit;

(b) approach the Supreme Court or the High Court concerned for such directions, orders or writs as that Court may deem necessary;

(c) recommend to the concerned Government or authority at any stage of the inquiry for the grant of such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the Commission may consider necessary;

(d) subject to the provisions of clause (e), provide a copy of the inquiry report to the petitioner or his representative;

(e) the Commission shall send a copy of its inquiry report together with its recommendations to the concerned Government or authority and the concerned Government or authority shall, within a period of one month, or such further time as the Commission may allow, forward its comments on the report, including the action taken or proposed to be taken thereon, to the Commission;

(f) the Commission shall publish its inquiry report together with the comments of the concerned Government or authority, if any, and the action taken or proposed to be taken by the concerned Government or authority on the recommendations of the Commission.]

### **19. Procedure with respect to armed forces**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, while dealing with complaints of violation of human rights by members of the armed forces, the Commission shall adopt the following procedure, namely :-

- (a) it may, either on its own motion or on receipt of a petition, seek a report from the Central Government;

ऐसा प्रतिकार या नुकसान की भरपाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;

(घ) खण्ड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।]

## 19. सशस्त्र बलों से संबंधित प्रक्रिया

(1) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्:—

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;

(b) after the receipt of the report, it may, either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendations to that Government.

(2) The Central Government shall inform the Commission of the action taken on the recommendations within three months or such further time as the Commission may allow.

(3) The Commission shall publish its report together with its recommendations made to the Central Government and the action taken by that Government on such recommendations.

(4) The Commission shall provide a copy of the report published under sub-section (3) to the petitioner or his representative.

## ***20. Annual and special reports of the Commission***

(1) The Commission shall submit an annual report to the Central Government and to the State Government concerned and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it should not be deferred till submission of the annual report.

(2) The Central Government and the State Government, as the case may be, shall cause the annual and special reports of the Commission to be laid before each House of Parliament or the State Legislature respectively, as the case may be, along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any.

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशों कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

## **20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें**

(1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।



# STATE HUMAN RIGHTS COMMISSIONS

## **21. Constitution of State Human Rights Commissions**

(1) A State Government may constitute a body to be known as the ..... (name of the State) Human Rights Commission to exercise the powers conferred upon, and to perform the functions assigned to, a State Commission under this chapter.

<sup>1</sup>(2) The State Commission shall, with effect from such date as the State Government may by notification specify, consist of—

- (a) a Chairperson who has been a Chief Justice of a High Court;
- (b) one Member who is, or has been, a Judge of a High Court or District Judge in the State with a minimum of seven years experience as District Judge;
- (c) one Member to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights.]

(3) There shall be a Secretary who shall be the Chief Executive Officer of the State Commission and shall exercise such powers and discharge such functions of the State Commission as it may delegate to him.

(4) The headquarters of the State Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

(5) A State Commission may inquire into violation of human rights only in respect of matters relatable to any of the entries enumerated in List II and List III in the Seventh Schedule to the Constitution:

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006 s.12, for sub section (2) (w.e.f. 23.11.2006).

## राज्य मानव अधिकार आयोग

### 21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन

(1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम ..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।

1[(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

- (क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है;
- (ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है;
- (ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।]

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा :

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 12 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

Provided that if any such matter is already being inquired into by the Commission or any other Commission duly constituted under any law for the time being in force, the State Commission shall not inquire into the said matter:

Provided further that in relation to the Jammu and Kashmir Human Rights Commission, this sub-section shall have effect as if for the words and figures "List II and List III in the Seventh Schedule to the Constitution", the words and figures "List III in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir and in respect of matters in relation to which the Legislature of that State has power to make laws" had been substituted.

<sup>1</sup>[(6) Two or more State Governments may, with the consent of a Chairperson or Member of a State Commission, appoint such Chairperson or, as the case may be, such Member of another State Commission simultaneously if such Chairperson or Member consents to such appointment:

Provided that every appointment made under this sub-section shall be made after obtaining the recommendations of the Committee referred to in sub-section(1) of section 22 in respect of the State for which a common Chairperson or Member, or both, as the case may be, is to be appointed.]

## **22. Appointment of Chairperson and <sup>2</sup>[Members] of State Commission**

(1) The Chairperson and <sup>2</sup>[Members] shall be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal:

Provided that every appointment under this sub-section shall be made after obtaining the recommendation of a Committee consisting of

- (a) the Chief Minister — Chairperson
- (b) Speaker of the Legislative Assembly — Member

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006 s.12, (w.e.f. 23.11.2006).

<sup>2</sup> Subs. by s.13, *ibid*, for "other members" (w.e.f. 23.11.2006).

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिए हों।

1[(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है:

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशों अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी।]

## **22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और 2[सदस्यों] की नियुक्ति**

(1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों<sup>2</sup> को नियुक्त करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) मुख्य मंत्री - अध्यक्ष

(ख) विधान सभा का अध्यक्ष - सदस्य

1 2006 के अ.स. 48 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 2006 के अ.स. 48 की धारा 13 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (c) Minister in-charge of the Department of Home, in that State — Member
- (d) Leader of the Opposition in the Legislative Assembly — Member

Provided further that where there is a Legislative Council in a State, the Chairman of that Council and the Leader of the Opposition in that Council shall also be members of the Committee.

Provided also that no sitting Judge of a High Court or a sitting District Judge shall be appointed except after consultation with the Chief Justice of the High Court of the concerned State.

(2) No appointment of a Chairperson or a Member of the State Commission shall be invalid merely by reason of <sup>1</sup>[any vacancy of any Member in the Committee referred to in sub-section(1)].

### **<sup>2</sup>[23. Resignation and Removal of Chairperson or a Member of the State Commission]**

<sup>3</sup>[(1) The Chairperson or a Member of a State Commission may, by notice in writing under his hand addressed to the Governor, resign his office

(1A) Subject to the provisions of sub-section (2), the Chairperson or any Member of the State Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf by the Supreme Court, reported that the Chairperson or such Member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.]

(2) Notwithstanding anything in <sup>4</sup> [sub-section (1A)], the President may by order remove from office the Chairperson or any <sup>5</sup>[Member] if the Chairperson or such <sup>5</sup>[Member], as the case may be –

- (a) is adjudged an insolvent; or

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006 s.13, for "any vacancy in the Committee"

<sup>2</sup> Subs. by s.14, ibid, for "Removal of a member of the State Commission(w.e.f. 23.11.2006)

<sup>3</sup> Subs. by s.14, ibid, for sub section (I), (w.e.f. 23.11.2006)

<sup>4</sup> Subs. by s.14, ibid, for sub section (I) (w.e.f. 23.11.2006)

<sup>5</sup> Subs. by s.14, ibid, for "other member" (w.e.f. 23.11.2006)

- (ग) उस राज्य के गृह विभाग का प्रभारी मंत्री – सदस्य  
 (घ) विधान सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे:

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्याथा, नहीं।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि <sup>1</sup>[उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है।]

### **23. [राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना]<sup>1</sup>**

<sup>3</sup>(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।]

(2) <sup>4</sup>[उपधारा (1क)] में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई <sup>5</sup>[सदस्य]:—

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

1 2006 के अ.सं. 43 की धारा 13 द्वारा "समिति में कोई रिक्ति है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 2006 के अ.सं. 43 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा पार्श्व राज्य आयोग के सदस्य को हटाया जाना पर प्रतिस्थापित।

3 2006 के अ.सं. 43 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

4 2006 के अ.सं. 43 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

5 2006 के अ.सं. 43 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (b) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
- (c) is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
- (d) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (e) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude.

<sup>1</sup>**[24. Term of office of Chairperson and Members of the State Commission**

(1) A person appointed as Chairperson shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier;

(2) A person appointed as a Member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for another term of five years;

Provided that no Member shall hold office after he has attained the age of seventy years.

(3) On ceasing to hold office, a Chairperson or a Member shall be ineligible for further employment under the Government of a State or under the Government of India.]

**25. Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances**

(1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the Governor may, by notification, authorise one of the Members to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson to fill such vacancy.

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006 s.15, for section 24 (w.e.f. 23.11.2006)

- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या
- (ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
- (घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
- (ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्गुप्त है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी (सदस्य)<sup>1</sup> को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

### ***1[24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि***

(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।]

### ***25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन***

(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 15 के खण्ड 24 द्वारा "अन्य सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।



(2) When the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, such one of the Members as the Governor may, by notification, authorise in this behalf, shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes his duties.

<sup>1</sup>**[26. Terms and conditions of service of Chairperson and Members of the State Commissions**

The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed by the State Government;

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.]

**27. Officers and other staff of the State Commission**

- (1) The State Government shall make available to the Commission
  - (a) an officer not below the rank of a Secretary to the State Government who shall be the Secretary of the State Commission; and
  - (b) such police and investigative staff under an officer not below the rank of an Inspector General of Police and such other officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the functions of the State Commission.

(2) subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, the State Commission may appoint such other administrative, technical and scientific staff as it may consider necessary.

(3) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed by the State Government.

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.16, for section 26 (w.e.f. 23.11.2006)

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

## **<sup>1</sup>[26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें**

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष अथवा सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

## **27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारीवृन्द**

(1) राज्य सरकार, आयोग को—

(क) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे न हो राज्य आयोग का सचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारीवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो यह आवश्यक समझे।

(3) अपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

<sup>1</sup>: 2006 के अ.सं. 43 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

## **28. Annual and special reports of State Commission**

(1) The State Commission shall submit an annual report to the State Government and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it should not be deferred till submission of the annual report.

(2) The State Government shall cause the annual and special reports of the State Commission to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the State Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any.

## **29. Application of certain provisions relating to National Human Rights Commission to State Commissions**

The provisions of sections 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 shall apply to a State Commission and shall have effect, subject to the following modifications, namely:-

- (a) references to "Commission" shall be construed as references to "State Commission";
- (b) in section 10, in sub-section (3), for the word "Secretary General", the word "Secretary" shall be substituted;
- (c) in section 12, clause (f) shall be omitted;
- (d) in section 17, in clause (i), the words "Central Government or any" shall be omitted;

## 28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें

(1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के सक्षम, रखवाएगी।

## 29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना

धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबन्ध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित रूपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

- (क) "आयोग" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग" के प्रति निर्देश हैं;
- (ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, "महासचिव" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा;
- (घ) धारा 17 के खंड (i) में से "केन्द्रीय सरकार या किसी" शब्द का लोप किया जाएगा।

## CHAPTER VI

# HUMAN RIGHTS COURTS

**30.** For the purpose of providing speedy trial of offences arising out of violation of human rights, the State Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification, specify for each district a Court of Session to be a Human Rights Court to try the said offences.

Provided that nothing in this section shall apply if

- (a) a Court of Session is already specified as a special court; or
- (b) a special court is already constituted, for such offences under any other law for the time being in force.

### **31. *Special Public Prosecutor***

For every Human Rights Court, the State Government shall, by notification, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.

## मानव अधिकार न्यायालय

### 30. मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए —

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; या

(ख) उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए, कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

### 31. विशेष लोक अभियोजक

राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलो के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजनक के रूप में नियुक्त करेगी।

## FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

### **32. Grants by the Central Government**

(1) The Central Government shall after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the Central Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

### **33. Grants by the State Government**

(1) The State Government shall, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, pay to the State Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The State Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under Chapter V, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

### **34. Accounts and Audit**

(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Comptroller and Auditor-General.

## वित्त, लेखा और संपरीक्षा

### 32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

(1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो यह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

### 33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान

(1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में संदेय व्यय मानी जाएगी।

### 34. लेखा और संपरीक्षा

(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।



(3) The Comptroller and Auditor-General or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commission as certified by the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government by the Commission and the Central Government shall cause the audit report to be laid as soon as may be after it is received before each House of Parliament.

### ***35. Accounts and Audit of State Commission***

(1) The State Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the State Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the State Commission to the Comptroller and Auditor-General.

(3) The Comptroller and Auditor-General or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the State Commission.

(3) नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज—पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

### **35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा**

(1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज—पत्र पेश किए जाने को मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) The accounts of the State Commission, as certified by the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government by the State Commission and the State Government shall cause the audit report to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्टें सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी।

## CHAPTER VIII

# MISCELLANEOUS

### ***36. Matters not subject to jurisdiction of the Commission***

(1) The Commission shall not inquire into any matter which is pending before a State Commission or any other Commission duly constituted under any law for the time being in force.

(2) The Commission or the State Commission shall not inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed.

### ***37. Constitution of special investigation teams***

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where the Government considers it necessary so to do, it may constitute one or more special investigation teams, consisting of such police officers as it thinks necessary for purposes of investigation and prosecution of offences arising out of violations of human rights.

### ***38. Protection of action taken in good faith***

No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government, State Government, Commission, the State Commission or any Member thereof or any person acting under the direction either of the Central Government, State Government, Commission or the State Commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or any order made thereunder or in respect of the publication by or under the authority of the Central Government, State Government, Commission or the State Commission of any report paper or proceedings.

### ***39. Members and officers to be public servants***

Every Member of the Commission, State Commission and every officer appointed or authorised by the Commission or the State Commission

## विविध

### 36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय

(1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख, जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन संस्थापित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है, से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।

### 37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुसिल अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के उल्लंघनों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है।

### 38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र, या कार्यवही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

### 39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना

आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत

to exercise functions under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

#### **40. Power of Central Government to make rules**

(1) The Central Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely :-

- (a) the salaries and allowances and other terms and conditions of service of the<sup>1</sup>[Chairperson and Members] under section 8;
- (b) the conditions subject to which other administrative, technical and scientific staff may be appointed by the Commission and the salaries and allowances of officers and other staff under sub-section (3) of section 11;
- (c) any other power of a civil court required to be prescribed under clause (f) of sub-section (1) of section 13;
- (d) the form in which the annual statement of accounts is to be prepared by the Commission under sub-section (1 ) of section 34; and
- (e) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.17, for "Member" (w.e.f. 23.11.2006)

प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

#### 40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः—

- (क) धारा 8 के अधीन [अध्यक्ष और सदस्यों]<sup>1</sup> के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;
- (ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते;
- (ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है;
- (घ) वह प्ररूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं; और
- (ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 17 द्वारा "सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।



<sup>1</sup>**[40A. Power to make rules retrospectively—** The power to make rules under clause (b) of sub-section (2) of section 40 shall include the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier than the date on which this Act received the assent of the President, but no such retrospective effect shall be given to any such rule so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such rule may be applicable.]

<sup>2</sup>**[40B. Power of Commission to make Regulations**

(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Commission may, with the previous approval of the Central Government, by notification, make regulations to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the procedure to be followed by the Commission under sub-section(2) of Section 10;
- (b) the returns and statistics to be furnished by the State Commission;
- (c) any other matter which has to be, or may be, specified by regulations.

(3) Every regulation made by the Commission under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulations or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation.]

---

<sup>1</sup> Inserted by Act 49 of 2000, s.2, (w.e.f. 11.12.2000)

<sup>2</sup> Inserted by Act 43 of 2006, s.18 (w.e.f. 23.11.2006)

**1[40क. पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की शक्ति—** धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को पूर्वव्यापी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ]]

### **थ[40ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति**

(1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) धारा 10 उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े;
- (ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ]]

<sup>1</sup> 2000 के अ.सं. 49 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 11.12.2000 से प्रमावी)।

<sup>2</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रमावी)।

#### **41. Power of State Government to make rules**

(1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :

- (a) the salaries and allowances and other terms and conditions of service of the <sup>1</sup>[Chairperson and Members] under section 26;
- (b) the conditions subject to which other administrative, technical and scientific staff may be appointed by the State Commission and the salaries and allowances of officers and other staff under sub-section (3) of section 27;
- (c) the form in which the annual statement of accounts is to be prepared under sub-section (1) of section 35.

(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

#### **42. Power to remove difficulties**

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government, may by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each house of Parliament.

---

<sup>1</sup> Subs. by Act 43 of 2006, s.19, for "the Members" (w.e.f. 23.11.2006)

#### 41. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 26 के अधीन <sup>1</sup>[अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते;

(ग) वह प्रपत्र, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

#### 42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

<sup>1</sup> 2006 के अ.सं. 43 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रभावी)।

### **43. Repeal and Savings**

(1) The Protection of Human Rights Ordinance, 1993 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

#### 43. निरसन और व्यावृत्ति

(1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।



**National Human Rights Commission**

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**

Manav Adhikar Bhawan, C-Block, GPO Complex

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स

INA, New Delhi - 110 023

आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

Website : [www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in)

वेबसाइट : [www.nhrc.nic.in](http://www.nhrc.nic.in)